

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

सूरजमल पुत्र गोकल मीना निवासी कमालपुरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली।
वादी

बनाम

1. जलसिंह पुत्र सूरजमल
 2. संजय पुत्र जलसिंह
 3. पवन पुत्र जलसिंह
 4. संतरा पत्नि जलसिंह
- जाति मीना निवासी कमालपुरिया तहसील टोडाभीम

प्रतिवादीगण

दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा

मु0न0 55/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री मनोज कुमार शर्मा
रुडवोकेट, मिनकानिब गुदई रूबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश
होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि
दावा वादी बावत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के
मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....
अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05.03.2021 को जारी की
गई।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					